"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 नवम्बर 2007—अग्रहायण 2, शक 1929

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि मैं यासर बिन इफ्तेखार आत्मज श्री इफ्तेखार मोहम्मद कुरैशी, निवासी 39, शिवनाथ कालोनी, रायपुर नाका के पास राजनांदगांव का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर यासर कुरैशी रख लिया हूं तथा इसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे यासर कुरैशी आत्मज श्री इफ्तेखार मोहम्मद कुरैशी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
यासर बिन इफ्तेखार आत्मज-इफ्तेखार मोहम्मद कुरैशी निवासी-39, शिवनाथ कालोनी रायपुर नाका के पास, राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)	यासर कुरैशी आत्मज-इफ्तेखार मोहम्मद कुरैशी निवासी-39, शिवनाथ कालोनी रायपुर नाका के पास, राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

(Statutory Body Under the Advocate Act 1961)

Office-High Court Premises Bilaspur (C. G.)

Bilaspur, the 5th November 2007

Ref. No. SBC/CG/Audit-Noti./ /2007.—It is notified for general information that the Accounts of State Bar Council of Chhattisgarh and allied accounts are duly audited as per provisions contained under section 12 (1), (2), (3) of the Advocates Act 1961, and the Audit report is annexed below.

SUMMERISED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD OF 1-04-2006 TO 31-03-2007

Expenditure (1)	Amount (2)	Amount (3)	Income (4)	Amount (5)	Amount (6)
To revenue Expenses			**By Receipt General A/c**		
T. A.& D. A. Expenses	354719.00		Enrolment fees	616350.00	
Miscellaneous Expenses	49919.00		Sundry Receipt		
Meeting Expenses	59703.00		Cost Received from D. C. Cases	1690.00	
Postage Expenses	59325.00		Sundry Change of Address & Place	17850.00	
Electric & Water Bill Expenses	25581.00		Sundry Enrolment	672580.00	
Printing & Stationery Expenses	43104.00		Sundry Sanad Suspension & Resump.	11400.00	
Computer Expenses	43923.00		Sundry Transfer from C G	32950.00	
Incidental Expenses	49656.00		Received from Vacancies	8000.00	
Wages & Salaries	542335.00		Sundry I Card	20340.00	
Library Development Bar Ass.	306040.00		Complain Registration	12000.00	
Telephone Expenses	29988.00		Recoginagation Fees	2000.00	
Office Expenses	29978.00		Enrolment form	397800.00	
Leave Reimbursement	50310.00		SBCCG Library Fund	309800.00	2102760.00
Bank Charge	[illegible]		Interest on FDR	1458012.00	1458012.00
Medical Assistant	[illegible]		By Bank Interest	94109.00	94109.00
Commission	329350.00		By Advocate Welfare Fund	1233990.00	1233990.00
Audit Fee	4301.00		**By Adhivakta Kalayan Yojana 1989**		
Printing for Stamp	114000.00		Membership upto 30 year	611200.00	
Exgratia Payment	0.00		Membership upto 40 year	360000.00	
20% Membership Share BCI	246798.00		Membership upto 45 year	24000.00	
SBC of CG Election Expenses	40241.00	2473534.00	Consolidated Fund Above 45 year	1170000.00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
To Death Claim	1140000.00	1140000.00	Sundry Receipt	66900.00	2232100.00
To Depreciation of Assests	29844.87	29844.87			
			By Adhivakta Kalayan Nidhi Stamp		
			Stamp Sale 10/- Each	2888400.00	
(Transfer to Surplus Fund)	7560692.13	7560692.13	Stamp Sale 25/- Each	879450.00	
			Stamp duty Fee	315250.00	
			Sundry Receipt		4083100.00
Total	**11204071.00**	**11204071.00**	**Total**	**11204071.00**	**11204071.00**

CERTIFICATE
Certified that the above statement is true and correct

FOR AND ON BEHALF OF
State Bar Council of Chhattisgarh-Bilaspur for,

Sd/- **Accountant** Sd/- **Secretary** Sd/- **President**

CERTIFICATE
Subject to our report of even date attached.
Place : Bilaspur (C. G.) Dt. 04-10-2007

M/s G. M. Gupta & Company
Chartered Accountants

Sd/-
(G. M. GUPTA, M. COM, FCA, DISA)
PROPRIETOR

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

SUMMERISED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2007

Fund & Liabilities (1)	Amount (2)	Amount (3)	Assests (4)	Amount (5)	Amount (6)
General Fund B/F	**16605435.98**		**Fixed Deposit**		
Add Surplus for the Year	7560692.13	24166128:11	State Bar Council of M. P. A/C	4569212.00	
			State Bar Council of C. G. A/C	2507005.00	
Amalgamated Fund B/F	2746500.00		Amalgamated Fund	2594041.00	
Add Surplus for the Year	605400.00	3351900.00	Advocate Welfare Fund of BCI	1917335.00	
			AKY Yojana 1989	8633839.00	
Current Liabilities			AKN Kalyan Nidhi Stamp C. G.	8242671.00	
Advocate Welfare Fund	905475.00		AKN Kalyan Nidhi Stamp M. P.	745857.00	29209960.00
Family Benefit Scheme	64220.00		Interest accurued on Fixed Deposit	512402.57	512402.57
Stamp Duty	673233.00		**Fixed Assets**		
Seminar Account (Received from BCI)	100000.00		Computer System	103892.22	
Sumani Relief Fund	3044.00	1745972.00	Coller	11337.57	
Bar Council of India, New Delhi	383878.00	383878.00	Hindi Typing Mac.	3936.60	
			Office Furniture	100505.16	
SBC General Fund	133200.00	133200.00	Chair	3936.60	
Received From M. P.	5952276.00	5952276.00	Almirah	25519.87	
(1679736.00+4272540.00)			Air Conditioner	18710.46	
			Office Machine	765.45	
			Security Deposit of Electricity	1240.00	
			TDS Deposite	19068.00	288911.93
			Cash & Bank Balance		
			SBI General A/c No. 10597654630	440901.05	
			SBI Amalgamated A/c No. 10597654890	286664.81	
			SBI Library A/c No. 30034430634	63151.00	
			SBI AKY 1989 A/c No. 10597654930	370524.22	
			SBI AWF A/c No. 10597654914	893015.21	
			SBI AKN Stamp A/c 10597654969	1756504.06	
			SBI FBS A/c 10597654925	40690.26	
			Union Bank of India A/c 9360	4260.00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Union Bank of India A/c 9340	13737.00	
			Cash in hand	33045.00	3902492.61
			Other Receivable		
			AKY 1989	541783.00	
			SBC CG General	1234345.00	1776128.00
			State Bar Council M. P. (Receivable)	43105.00	43105.00
			Advance for Election	354.00	354.00
Total	**35733354.11**	**35733354.11**	**Total**	**35733354.11**	**35733354.11**

CERTIFICATE
Certified that the above statement is true and correct

FOR AND ON BEHALF OF
State Bar Council of Chhattisgarh-Bilaspur for.

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Accountant	**Secretary**	**President**

CERTIFICATE
Subject to our report of even date attached.
Place : Bilaspur (C. G.) Dt. 04-10-2007

M/s G. M. Gupta & Company
Chartered Accountants

Sd/-
(G. M. GUPTA, M. COM, FCA, DISA)
PROPRIETOR

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड
सी-12, सेक्टर-3, देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2007

क्रमांक/औकाफ/1577/2007.—पूर्व प्रस्तावित क्र./अ. सू./171/07 एवं 173 दिनांक 22 फरवरी, 2007 में संबंधित वक्फ सम्पत्ति पर काबिज/अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवाने के पश्चात् उक्त वक्फ सम्पत्ति से प्राप्त राशि से एवं मस्जिद, मदरसा, ग्राम संरगांव, तह. मुंगेली जिला बिलासपुर के मस्जिद, स्कूल, मदरसा (मज़हबी दर्सगाह) का निर्माण, छात्रावास का निर्माण, छात्रों के लिए कपड़े आदि क्रय करना, एम्बुलेंस गाड़ी का क्रय, पेशीमाम व मौज्जन का वेतन, बेवा, यतीम, छात्रवृत्ति को सहायता राशि का भुगतान, वक्फ सम्पत्ति का विकास/कब्रस्तान की बाउन्ड्री वाल तथा गेट का निर्माण, जनहित जनकल्याण आदि कार्य. खैराती, पवित्र, धार्मिक, कार्य बोर्ड की आवश्यकतानुसार अन्य कार्यों का निर्माण किया जायेगा.

वक्फ सम्पत्ति को वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 53 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु क्र./अ. सू./171/07 दिनांक 22 फरवरी 2007 एवं क्र./छ. ग. व. बो./औकाफ/486/07 एवं 487 दिनांक 14 मार्च, 07 के पूर्व प्रस्तावित वक्फ सम्पत्तियों के प्राप्त राशि से व्यय बिलासपुर/ रायपुर जिले में राज्य शासन से भूमि प्राप्त कर अथवा भूमि क्रय कर चेरिटेबल डिस्पेंसरी, मुस्लिम गर्ल्स हास्टल, सामुदायिक भवन का निर्माण, एम्बुलेंस गाड़ी का क्रय, बेवा, यतीम, छात्रवृत्ति को सहायता राशि का भुगतान, वक्फ सम्पत्तियों का विकास/कब्रस्तान की बाउन्ड्री वाल तथा गेट का निर्माण, जनहित जनकल्याण आदि कार्य. खैराती, पवित्र, धार्मिक कार्य बोर्ड की आवश्यकतानुसार अन्य कार्यों का निर्माण किया जायेगा, से समयानुसार से संबंधित आपत्तियों एवं सुझाव बोर्ड में शासकीय राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 15 दिवस के भीतर आमंत्रित किये जाते हैं.

यह कार्य कोई पात्रता रखने वाले मुतवल्ली अथवा अन्य हितबद्ध व्यक्ति पर होने वाले व्यय को छोड़कर, व्यय किया जायेगा.

उपरोक्त से संबंधित अन्य शर्तें, अर्हतायें, जानकारी, दैनिक समाचार पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित की जायेगी.

एस. ए. फारूकी,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक लोक न्यास, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ. ग.)

महासमुंद, दिनांक 8 अक्टूबर 2007

प्ररूप क्र. 5
[देखें नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक महासमुंद जिला महासमुंद के समक्ष

क्र./1070/पंलोन्या./07.—यत: मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब, इसलिए, मैं डी. एल. वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लोक न्यासों का पंजीयक महासमुंद जिला मेरे न्यायालय में 2007 के अक्टूबर माह के 25 दिवस पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित, मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा सूचनापत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचनापत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

(1) लोक न्यास का नाम और पता : गायत्री परिवार ट्रस्ट महासमुंद, तहसील व जिला महासमुंद छ. ग.

(2) अचल संपत्ति : महासमुंद, प. ह. नं. 142, रा. नि. मं. महासमुंद में स्थित भूमि-

खसरा नंबर	रकबा
2036/2	0.016 हे./1748 वर्गफुट
2036/6	0.045 हे./4916 वर्गफुट
योग 02	**0.061 हे./6664 वर्गफुट**

(3) चल संपत्ति :

क्रमांक	सामग्री विवरण	मात्रा	राशि (रुपयों में)
1.	स्टील आलमारी	05 नग	15000.00
2.	लकड़ी का अन्न घट	02 -,,-	2000.00
3.	लकड़ी का रेक	02 -,,-	2000.00
4.	लकड़ी का पाटा	02 -,,-	2000.00
5.	फूलदान (पीतल)	04 -,,-	12000.00
6.	दीपदान	02 -,,-	1000.00
7.	टेबल	02 -,,-	1000.00
8.	घंटी	02 -,,-	500.00
9.	कुर्सी (प्लास्टिक)	06 -,,-	1200.00
10.	दानपेटी	01 -,,-	1200.00
11.	साउण्ड सिस्टम	01 सेट्स	20000.00
12.	विद्युत (मीटर, वायरिंग, ट्यूब-लाईट एवं पंखे)	-	20000.00
13.	सायकिल	01 नग	500.00
14.	ज्वेलरी (मुकुट, करधनी, नथ, बिछिया, पायजेब, हार)	-	20000.00
15.	वाद्य यंत्र (हारमोनियम, तबला, नाल, मंजिरा)	-	2000.00
16.	बर्तन-बड़ा गंजी-01, थाली-50, गिलास-50, तस्तरी-10, चम्मच-10, कटोरी-20.	-	4000.00
17.	गैस चूल्हा एवं सिलेण्डर	01 सेट्स	1800.00
18.	चित्र एवं पोस्टर	06 नग	2000.00
19.	ज्ञानरथ	01	1000.00
20.	साहित्य वांगमय	70 खण्ड	7000.00
21.	टेलीफोन संयोजन	01 नग	2000.00
	योग		**89400.00**

डी. एल. वर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक, रायगढ़ सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, साल्हेओना, जिला रायगढ़ (छ. ग.)

रायगढ़, दिनांक 27 अक्टूबर 2007

[छ. ग. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./शक्कर कारखाना/07/05.—रायगढ़ सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, साल्हेओना, जिला रायगढ़, पंजीयन क्रमांक 05 दिनांक 28-9-96 है को पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छ. ग. रायपुर के आदेश क्रमांक पसस/परि./02/06/6034 दिनांक 24-11-2006 के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत परिसमापित रायगढ़ सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, साल्हेओना, जिला रायगढ़ के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के यदि हो तो कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, कलेक्ट्रेट भवन, रायगढ़ में मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वहीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी भी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जायेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 31-10-2007 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई.

बसंत कुमार,
सहायक पंजीयक एवं परिसमापक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम (छ. ग.)

कवर्धा, दिनांक 03 नवम्बर 2007

क्रमांक/उपंक/परि./2007/632.—बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्या. गांगपुर पं. क्र. 31 जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2004-2005, 2005-06 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारित न करना, उक्त वर्षों में संस्था द्वारा अपने मौलिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास न करना तथा संचालक सदस्यों के बयानों से अकार्यशीलता प्रदर्शित होना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था के संचालक मंडल को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र. 563 दिनांक 26-09-2007 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् जवाब प्रस्तुत किया गया है जो समाधान कारक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि संस्था द्वारा अपने जवाब में संस्था के कार्यशील होने संबंधी कोई उल्लेख नहीं किया गया है और तत्संबंध में कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ./05-01-99 पन्द्रह-1 डी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्या. गांगपुर पं. क्र. 31 को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री व्ही. के. शर्मा, पद व. स. नि. को बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्या. गांगपुर पं. क्र. 31 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से दिनांक 03-11-2007 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 03 नवम्बर 2007

क्रमांक/उपंक/परि./2007/633.—बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्या., झिरौनी, पं. क्र. 28, जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2004-2005, 2005-06 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारित न करना, उक्त वर्षों में संस्था द्वारा अपने मौलिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास न करना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था के संचालक मंडल को छ.ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र. 561 दिनांक 26-09-2007 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् जवाब प्रस्तुत किया गया है जो समाधान कारक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि संस्था द्वारा अपने जवाब में संस्था के कार्यशील होने संबंधी कोई उल्लेख नहीं किया गया है और तत्संबंध में कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ./05-01-99 पन्द्रह-1 डी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्या., झिरौनी, पं. क्र. 28 को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री डी. के. बिसी, पद व. स. नि. को बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्या., झिरौनी, पं. क्र. 28 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से दिनांक 03-11-2007 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 03 नवम्बर 2007

क्रमांक/उपंक/परि./2007/634.—बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्या., कोठार, पं. क्र. 30, जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2004-2005, 2005-06 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारित न करना, उक्त वर्षों में संस्था द्वारा अपने मौलिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास न करना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था के संचालक मंडल को छ.ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र. 562 दिनांक 26-09-2007 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् जवाब प्रस्तुत किया गया है जो समाधान कारक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि संस्था द्वारा अपने जवाब में संस्था के कार्यशील होने संबंधी कोई उल्लेख नहीं किया गया है और तत्संबंध में कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप-पंजीयक सहकारी, संस्थाएं, कबीरधाम छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ./05-01-99 पन्द्रह-1 डी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्या., कोठार, पं. क्र. 30 को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री डी. के. बिसी, पद व. स. नि. को बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्या., कोठार, पं. क्र. 30 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से दिनांक 03-11-2007 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 03 नवम्बर 2007

क्रमांक/उपंक/परि./2007/635.—बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्या., जेवडन, पं. क्र. 32, जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2004-2005, 2005-06 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारित न करना, उक्त वर्षों में संस्था द्वारा अपने मौलिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास न करना तथा अध्यक्ष एवं संचालक अमित कुमार के बयानों से अकार्यशीलता प्रदर्शित होना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था के संचालक मंडल को छ.ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र. 564 दिनांक 26-09-2007 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् जवाब प्रस्तुत किया गया है जो समाधान कारक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि संस्था द्वारा अपने जवाब में संस्था के कार्यशील होने संबंधी कोई उल्लेख नहीं किया गया है और तत्संबंध में कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ./05-01-99 पन्द्रह-1 डी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्या., जेवडन, पं. क्र. 32 को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री व्ही. के. श्रीवास्तव, पद व. स. नि. को बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्या., जेवडन, पं. क्र. 32 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से दिनांक 03-11-2007 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 03 नवम्बर 2007

क्रमांक/उपंक/परि./2007/636.—बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्या., सिंघनपुरी, पं. क्र. 29, जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2004-2005, 2005-06 एवं 2006-07 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारित न करना, उक्त वर्षों में संस्था द्वारा अपने मौलिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास न करना तथा दिनांक 22-09-2007 को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष से लिये गये बयानों से संस्था की अकार्यशीलता प्रदर्शित होना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था के संचालक मंडल को छ.ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र. 560 दिनांक 26-09-2007 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् जवाब प्रस्तुत किया गया है जो समाधान कारक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि संस्था द्वारा अपने जवाब में संस्था के कार्यशील होने संबंधी कोई उल्लेख नहीं किया गया है और तत्संबंध में कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ./05-01-99 पन्द्रह 1 डी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्या., सिंघनपुरी, पं. क्र. 29 को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री व्ही. के. शर्मा, पद व. स. नि. को बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समिति मर्या., सिंघनपुरी, पं. क्र. 29 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से दिनांक 03-11-2007 को जारी किया गया है.

एस. के. तिग्गा,
उप पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1898.—पंजीयन क्रमांक 3626 दिनांक 24-2-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 870 दिनांक 11-7-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर प्राथ. सह. उप.भंडार मर्या., तात्या टोपे नगर, वार्ड क्र. 32 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री पी. एस. मरकाम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1899.—अध्यक्ष/प्र. अधि., जय हनुमान प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., लोको कालोनी, पंजीयन क्रमांक 3629 दिनांक 24-2-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 871 दिनांक 11-7-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर जय हनुमान प्राथ. उप. भंडार मर्या., लोको कालोनी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री बी. के. तिवारी, वरि. सह. निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1900.—पंजीयन क्रमांक 3642 दिनांक 14-3-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 912 दिनांक 18-7-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर संजय उप. सह. भंडार मर्या., असफाक उल्ला, बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री पी. एस. मरकाम, वरि. सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1901.—पंजीयन क्रमांक 3665 दिनांक 29-4-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 978 दिनांक 29-7-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर राजीव सह. उप. भंडार मर्या., निराला नगर वार्ड क्र. 17 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री पी. एस. मरकाम, वरि. सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1902.—पंजीयन क्रमांक 3662 दिनांक 17-4-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 980 दिनांक 29-7-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर शारदा सह. उप. भंडार मर्या., राजेन्द्र नगर, बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री पी. एस. मरकाम, वरि. सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1903.—पंजीयन क्रमांक 3643 दिनांक 14-3-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 913 दिनांक 18-7-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर विशाल प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., शंकर नगर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री पी. एस. मरकाम, वरि. सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1904.—पंजीयन क्रमांक 3684 दिनांक 22-4-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 979 दिनांक 29-7-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर प्रज्ञा सह. उप. भंडार मर्या., विनोबा नगर, बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री पी. एस. मरकाम, वरि. सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1905.—पंजीयन क्रमांक 3624 दिनांक 24-2-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 868 दिनांक 11-7-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर आशीर्वाद सह. उप. भंडार मर्या., तात्याटोपे नगर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. एन. चकलादार, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1906.—पंजीयन क्रमांक 3632 दिनांक 28-2-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 874 दिनांक 11-7-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर साई बाबा सह. उप. भंडार मर्या., विष्णु नगर, बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री बी. के. तिवारी, वरि. सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1907.—अध्यक्ष/प्र. अधि., जय हनुमान सह. उप. भंडार मर्या. तारबहार बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3944 दिनांक 1-11-99 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 985 दिनांक 29-7-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर जय हनुमान सह. उप. भंडार मर्या., तारबहार, बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री पी. एस. मरकाम, वरि. सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1908.—अध्यक्ष/प्र. अधि., सैफी सह. उप. भंडार मर्या., खपरगंज, वार्ड. क्र. 23, बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3820 दिनांक 27-11-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 991 दिनांक 29-7-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर सैफी सह. उप. भंडार मर्या., खपरगंज, वार्ड क्र. 23 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री बी. के. तिवारी, वरिष्ठ निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1909.—पंजीयन क्रमांक 2788 दिनांक 18-1-84 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 983 दिनांक 29-7-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर प्राथ. उप. भंडार मर्या., टिकरा पारा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री पी. एस. मरकाम, वरि. सह. निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1910.—पंजीयन क्रमांक 3647 दिनांक 15-3-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 914 दिनांक 18-7-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर मां बम्लेश्वरी सह. उप. भंडार मर्या., बंगला यार्ड को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री पी. एस. मरकाम, वरि. सह. निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1911.—पंजीयन क्रमांक 3631 दिनांक 28-02-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 873 दिनांक 11-7-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., सुभाष नगर, बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री पी. एस. मरकाम, वरि. सह. निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1912.—अध्यक्ष/प्र. अधि., जागृति सह. उप. भंडार मर्या., शंकरनगर, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3932 दिनांक 10-03-99 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 986 दिनांक 29-7-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर जागृति सह. उप. भंडार मर्या., शंकरनगर, बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री पी. एस. मरकाम, वरि. सह. निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1913.—अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी, नवनीत सह. उप. भंडार मर्या., प्रियदर्शनीय नगर, पंजीयन क्रमांक 3638 दिनांक 8-3-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 918 दिनांक 18-7-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर नवनीत सह. उप. भंडार मर्या., प्रियदर्शिनीय नगर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री पी. एस. मरकाम, वरिष्ठ सह. निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1914.—अध्यक्ष/प्र. अधि., आजाद नगर कल्याण सह. उप. भंडार मर्या., मसानगंज, पंजीयन क्रमांक 3622 दिनांक 24-2-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 867 दिनांक 11-7-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर आजाद नगर कल्याण सह. उप. भंडार मर्या., मसानगंज को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री बी. के. तिवारी, वरि. सह. निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1915.—पंजीयन क्रमांक 3611 दिनांक 24-2-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 809 दिनांक 30-7-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर जन कल्याण प्राथ. उप. भंडार मर्या., बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री बी. के. तिवारी, वरिष्ठ सह. निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1916.—पंजीयन क्रमांक 3669 दिनांक 15-5-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 976 दिनांक 29-7-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर सत्यम सह. उप. भंडार मर्या., गुरुघासीदास नगर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री बी. के. तिवारी, वरिष्ठ सह. निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1914.—अध्यक्ष/प्र. अधि. आजाद सह. उप. भंडार मर्या., वायरलेस कालोनी (रेल्वे परि.), बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3650 दिनांक 28-3-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 916 दिनांक 18-7-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर आजाद सह. उप. भंडार मर्या., वायरलेस कालोनी (रेल्वे परि.) बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री बी. के. तिवारी, वरिष्ठ सह. निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1919.—पंजीयन क्रमांक 3641 दिनांक 14-3-1995 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 911 दिनांक 18-7-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर बंगला यार्ड सह. उप. भंडार, लोको कालोनी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री पी. एस. मरकाम, वरि. सह. निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1920.—पंजीयन क्रमांक 3668 दिनांक 15-5-2006 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 977 दिनांक 29-7-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर एकता सह. उप. भंडार मर्या., रामनगर, बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री पी. एस. मरकाम, वरि. सह. निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

क्र./परिसमापन/2007/1921.—पंजीयन क्रमांक 3653 दिनांक 30-3-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 975 दिनांक 29-7-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर इंदिरा प्रा. सह. उप. भंडार मर्या., इंदिरा कालोनी, तारबहार को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री बी. के. तिवारी, वरि. सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

डी. आर. ठाकुर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.